Fencing work along Rajasthan Border

291. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the International border with Pakistan along Rajasthan will be sealed by wire fencing;

(b) if so, whether the infiltration activities along Rajasthan border is causing seriousness;

(c) whether the BSF posted at Rajasthan border have failed to curb such infiltration; and

(d) if so, by when the work of fencing the border along Rajasthan is likely to be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SYED SIBTEY RAZI): (a) Yes, Sir. Efforts are being made to seal all the fenceable areas on the Indo-Pak border along Rajasthan by barbed wire.

(b) and (c) With the sealing of Punjab border and parts of Rajasthan border, the infiltration activities along the remaining Rajasthan border had increased. However, with increased efforts the BSF has been adequately successful in checking infiltration and infiltrators, as per the table given below, have been apprehended by the BSF in the last 3 years on Rajasthan border:

Year	Infiltrators apprehended
1992	3816
1993	4405
1994	3255

(d) Out of a total of 1035 Kms Indo-Pak border in Rajasthan, fencing/flood lighting for an extent of 334 Kms. in Ganganagar and Bikaner Sectors has been completed. Fencing/flood lighting for 387 Kms in Jaisalmer and Barmer sectors is under execution and is scheduled to be completed by June 1996. Additionally, fencing/flood lighting for 165 Kms in Jaisalmer district has also been sanctioned and is scheduled for completion in 1996-97.

Implications of General Agreement on Bosnia Herzegovina

292. SHRI JAGMOHAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have assessed the long-term implications of their decision to welcome the Geneva Agreement of September 8, 1995 on Bosnia-Herzegovina; and

(b) whether this decision is likely to cause embarrassment to India in regard to its stand on Kashmir, and if so, what measures or moves are being contemplated to offset the likely damage?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED): (a) Yes Sir, The statement made by the Government of India welcoming the Geneva Agreement of Septemter 8, 1995 on Bosnia-Herzegovina, was made after full assessment of all implications.

(b) Kashmir is an integral part of India and the situation with regard to Bosnia-Herzegovina is completely different from that with regard to Kashmir. Representatives of all the parties in Bosnia-Herzegovina have accepted international mediation. The statement of the Government of India is not likely to cause any embarrassment. The issue of measures and moves being contemplated to offset the likely damage, does not arise.

बिहार में विदेशी संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले स्वयंसेवी संगठन

293. श्री रामदेव भंडारी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1993-94, 1994-95 के वर्षों के दौरान और 1995-96 में अब तक बिहार के मधुबनी जिले

में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विदेशी संस्थानों के नाम तथा पते उनके द्वारा प्रदत्त धनराशि, सहायता प्राप्त करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के नाम तथा पते और उनके द्वारा प्राप्त की गई धनराशि का योजना-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० मेज़िनलंग कामसन): (क) और (ख) बिहार में मधुबनी जिले की रिपोर्टिंग एसोसिएशनों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय, दाता एजेंसियों के नाम और उद्देश्य जिसके लिए वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान विदेशी अभिदाय प्रात किया गया, को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिये)** वर्ष 1995-96 के ब्यौरे अभी प्रस्तुत नहीं किए जा सकते क्योंकि एसोसिएशनों द्वारा लेखे प्रस्तुत किए जाने का समय अभी नहीं आया है।

विवरण

बिहार के मधुबनी जिले की निम्नलिखित एसोसिएशनों ने, वर्ष 1993-94 के दौरान, प्रत्येक के सामने दर्शाई गई विभिन्न दाता एजेंसियों से विदेशी अभिदाय की प्राप्ति की सूचना दी

क्रमांक	एसोसिएशन का नाम	1993-94 के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय	दाता एजेंसी	1994-95 के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय	दाता एजेंसी	उद्देश्य
1.	घोघरडीहा प्रखण्ड स्वराज्य विकास संघ, जगतपुर	4,28,528/-रु०	इवांजिलिस जेंत्रलिस्तेल फर एर्न्तवेकलुंग शेल्फ, बोन, जर्मनी	6,90,088/-रु०	इवांजिलिस जेंत्रलिस्तेल फर एर्न्तवेकलुंग शेल्फ, बोन, जर्मनी "मेमिसा" मेडिकस एन्ड्राश्टेवेग-48 रोटरडम, नीदरलैण्ड	ग्राम विकास, स्वास्थ्य रक्षा और परिवार नियोजन
2.	सेल्फ एंप्लाइड वीमन्स एसोसिएशन (सेवा), मिथिला	2,75,076/-रु०	रायल नार्वेजियन एम्बेसी चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	3,02,000/-रु०	इंटर-चर्च कोआर्डिनेटर कमेटी, नीदरलैण्ड	महिला उत्थान और महिलाओं के लिए अल्पावधि ठहराव-गृह तथा कौशल विकास
3.	महिला विकास सदन सिंघाषकला	81,900/-रु०	आक्सफेम (इण्डिया) ट्रस्ट, यू०के०	1,45,437/-रु०	आक्सफेम (इण्डिया) ट्रस्ट, यू०के०	सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक/स्वास्थ्य विकास
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण विद्यापीठ, फतेपुर, लोहाट	3,16,398/-रु०	साउथ एशिया पार्टनरशिप, कनाडा	50,000/-रु०	एण्डो जर्मन सोशल सर्विस सोसाइटी, नई दिल्ली	सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षणिक तथा एटमा कार्यक्रम
5.	कमलेश्वरी अभ्योदय आश्रम मधेपुरा, पंडौल	18,335/-रु०	साउथ एशिया पार्टनरशिप इंडिया, नई दिल्ली	4,43,298/-रु०	साउथ एशिया पार्टनरशिप इंडिया, नई दिल्ली एवं वर्ल्ड एकार्ड	सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक
6.	सामाजिक विकास संस्थान ग्राम-फूरे, डाकखाना-बेला	1,55,000/-रु०	इंडो-जर्मन सोशल सर्विस सोसाइटी, दिल्ली, साउथ एशिया पार्टनरशिप इंडिया, दिल्ली	सूचित नहीं किया	—	सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक

क्रमांक	एसोसिएशन का नाम	1993-94 के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय	दाता एजेंसी	1994-95 के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय	दाता एजेंसी	उद्देश्य
7.	सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र, झंझारपुर	20,61,402/-रु०	स्विस रेडक्रास स्विट्जरलैण्ड आक्सफेम (इंडिया) ट्रस्ट, 3, ब्राइट स्ट्रीट, कलकत्ता, इंडो-जर्मन सोशल सर्विस सोसाइटी	10,50,800/-रु०	स्विस रेडक्रास इंटरनेशनल स्विट्जरलैण्ड	सामाजिक-आर्थिक शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य रक्षा
8.	ग्राम विकास परिषद्, बाबू साहब ड्योढी	16,78,404/-रु०	स्विस रेडक्रास इंटरनेशनल कारपोरेशन, बर्न, रायल नीदरलैण्ड एम्बेसी	22,95,466/-रु०	स्विस रेडक्रास इंटरनेशनल कारपोरेशन, बर्न स्वीडिस एम्बेसी डेव, कारपोरेशन आक्सफेम (इंडिया) ट्रस्ट	सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक स्वास्थ्य-रक्षा एवं परिवार नियोजन प्रशिक्षण, ग्राम्य विकास
9.	ग्रामीण सेवा, सुंदर बीराजित, मधेपुरा	—	—	2,00,000/-रु०	आक्सफेम (इंडिया) ट्रस्ट, कलकत्ता	कानूनी मदद परियोजना

Non-Functioning of Telephones in Ghaziabad

294. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of complaints for nonfunctioning of Telephones in Ghaziabad Exchange for more than fifteen days;

(b) the details together with the names of the subscribers of such telephones;

(c) the dates on which these telephones remained dead and dates from which these telephones were set right; and

(d) whether remission in the rent in such cases were allowed; if so, the details thereof in each case?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATION (SHRI SUKH RAM): (a) Nil.

(b) to (d) Question does not arise.

मूलभूत दूरसंचार सेवाओं के संबंध में समिति का प्रतिवेदन

295. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या संचार मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में मूलभूत सेवाओं में सुधार लाने के संबंध में सुझाव देने हेतु एक उच्च शक्ति-प्राप्त समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या थे तथा समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था;

(ग) क्या सरकार ने समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित सुझावों का अध्ययन करने के बाद उन्हें कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कार्यान्वयन हेतु स्वीकार किए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है और उन्हें कब तक कार्यान्वित किए जाने का विचार है; और

(ङ) सरकार द्वारा अस्वीकार किह गए सुझावों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी हां।

(ख) समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार है:—

सर्वश्री

1. पी० खान, अध्यक्ष